उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–6,
संख्या– 420 /XX–6/2020–01(16)2007
देहरादूनः दिनांक– 27 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से चयनित अभियोजन विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची गृह अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–144/XX–6/2020–01(16)2007, दिनांक–11.06.2020 द्वारा उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 एवं नियम–8(2)(क) में निहित प्राविधानानुसार इस आशय से प्रसारित/परिचालित की गयी थी कि यदि किसी/किन्हीं कार्मिकों को उक्त सूची के अनन्तिम रूप से दर्शित अपनी वरिष्ठता की स्थिति/स्थान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो अथवा वरिष्ठता की स्थिति/स्थान में संशोधन करने का दावा करना चाहते हों, तो वे अपनी आपत्ति/अभिकथन, लिखित प्रत्यावेदन के रूप में संगत साक्ष्यों/अभिलेखों/विनियमों (यदि कोई हों) सहित, कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर निदेशक, अभियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दें।

2– तद्क्रम में निर्गत की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के निम्न क्रमांक में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा आपत्ति इंगित करते हुए उसके निराकरण किये का अनुरोध किया है, जिस पर विचार करते हुए आख्या निम्नवत् हैः–

बिन्दु	अधिकारी का क्रमांक एवं आपत्ति का विवरण	आपत्ति निराकरण सम्बन्धी आख्या
1	2	3
(क)	सूची के क्रमांक–10 पर श्रीमती ऋचा कोटियाल द्वारा आपत्ति अंकित की गयी है कि सूची में ऋचा कोठियाल के स्थान पर ऋचा कोटियाल किया जाय। वरिष्ठता क्रमांक–18 से सहमति प्रकट की गयी है।	अभिलेखानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारित क्रमांक में यथास्थान नाम ऋचा कोटियाल संशोधित कर दिया गया है।
(ख)	सूची के क्रमांक–33 पर अंकित श्री आशीष गुप्ता की जन्मतिथि 13.03.1991 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है जिसके स्थान पर दिनांक–13.03.1981 किया जाना है।	अभिलेखानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारित क्रमांक में श्री आशीष गुप्ता की जन्मतिथि दिनांक–13.03.1981 संशोधित कर दिया गया है।
(ग)	सूची के क्रमांक–39 पर अंकित श्री नवीन राणा की कार्यभार ग्रहण की तिथि 09.04.2019 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर दिनांक–22.07.2019 अंकित किया जाना है।	अभिलेखानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारित क्रमांक में यथास्थान कार्यभार ग्रहण करने की तिथि–22.07.2019 संशोधित कर दिया गया है।
(घ)	सूची के क्रमांक–30 पर अंकित श्रीमती पूर्णिमा शर्मा द्वारा पिता की मृत्यु होने के कारण अवकाश पर रहने की दशा में 08 दिन का और समय दिये जाने की प्रार्थना की है। तदोपरान्त उक्त समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त श्रीमती पूर्णिमा शर्मा की आपत्ति दिनांक–30.06.2020 को शासन में प्राप्त हुई, जिसमें मुख्य आपत्ति निम्नवत है :– सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन संख्या–349(एस0बी0)	शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–11.06.2020 में अंकित किया गया था कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में आपत्ति/अभिकथन, लिखित प्रत्यावेदन इस कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के पश्चात् आपत्तियां किसी भी दशा में ग्रहण नहीं होगी। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त श्रीमती पूर्णिमा शर्मा की आपत्ति प्राप्त होने पर भी उक्त आपत्ति इस कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि मा0 उच्च

	2011 रवि मोहन कौशिक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन घाषित परिणाम दिनांक–18.02.2012 में अपने कमांक 41 के सापेक्ष श्रेष्ठताकम में उनके नीचे के कतिपय अभ्यर्थियों, जिन्हें 37 अभ्यर्थियों के संशोधित/पुनरीक्षित परिणाम में उनसे वरिष्ठ दर्शाया गया है, पर आपत्ति की गयी है।	न्यायालय के अन्तिम निर्णय उपरान्त लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित/पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम, जिसके द्वारा 37 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है, में श्रीमती पूर्णिमा शर्मा का नाम नहीं है। ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 की व्यवस्थानुसार ही ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।
(ड़)	**कमांक–32** पर सुश्री सोमिका अधिकारी की **आपत्ति कमांक (1) एवं (2)** (1) सहायक अभियोजन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–28, 29, 30, 31 पर नियुक्त स0अभि0अधि0/दर्शाये गये सहा0अभि0 अधि0 की नियुक्ति दिनांक–31.12.2019 से प्रभावी है, तथा उपरोक्त नियुक्ति पूर्वगामी प्रभाव से जारी नहीं की गयी है, इससे स्पष्ट है कि उक्त कमांक में दर्शाये गये सहा0अभि0अधि0 को वरिष्ठता/ज्येष्ठता सूची में दर्ज करना विधि विरूद्व है। (2) सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 के प्रस्तर संख्या–8 के उप प्रस्तर (1) एवं इसके प्रथम प्रतिबन्ध की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आपत्ति व्यक्त की गयी है। **आपत्ति कमांक (4) (5) व (6) की मुख्य आपत्ति निम्नवत् है :–** सहायक अभियोजन अधिकारी नियमावली, 2015 के नियम–5(2) के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे सहायक अभियोजन अधिकारी पात्र होंगे, जिन्होंने भर्ती के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। उक्त नियम के आलोक में इस प्रबल सम्भावना पर विचार करना अति आवश्यक होगा कि भविष्य में अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रोन्नति के समय उपरोक्त प्रश्नगत अभ्यर्थियों (28,29,30,31) के प्रोन्नति के दावे तथा उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम सं0–5(2) के मध्य विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। **<u>आपत्ति कमांक (5)</u>** सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा निमयावली, 2015 के अनुसार "भर्ती के वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है। चूंकि प्रश्नगत अभ्यर्थियों का भर्ती का वर्ष 2019 है, फिर भी उन्हें वर्ष 2018 में भर्ती होने वाले सहायक अभियोजन अधिकारियों से वरिष्ठता कम में ऊपर स्थान देना न्यायोचित नहीं	**आपत्ति संख्या–1 व 2 में** कथित तथ्य इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 का नियम–8 उस स्थिति के लिये है जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो। सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। अतः यहाँ पर ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 की व्यवस्थानुसार एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के अनुसार होगी। इस प्रकार कमांक–28, 29, 30 व 31 पर अंकित अधिकारियों का चयन सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 के अर्न्तगत ही होने के कारण उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता कम के अनुसार होगी। **<u>आपत्ति (4) (5) व (6)</u>**– कतिपय सहायक अभियोजन अधिकारियो की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की आशंका निराधार है, क्योंकि पदोन्नति के लिए पात्रता एक महत्वपूर्ण आधार है, जो मात्र ज्येष्ठता से ही आच्छादित नहीं होता है। सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 की व्यवस्थानुसार सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 की चयन संस्तुति के आधार पर आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त आपत्तियां स्वीकार्य नहीं है।

	है तथा नियमावली के विरूद्व है। **आपत्ति कमांक (6)** प्रार्थिनी आपत्तिकर्ता तथा उसके साथ के अन्य सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति तिथि दिनांक–09.04.2019 हैं, इस कारण प्रार्थिनी आपत्तिक र्ता तथा उसके बैच के अन्य सहायक अभियोजन अधिकारी, वरिष्ठता में प्रश्नगत कमांक–28, 29, 30, 31 पर दर्शाये गये सहायक अभियोजन अधिकारी से वरिष्ठ है। **आपत्ति कमांक–(7)** में सुश्री सोमिका अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी नियुक्ति दिनांक–19.04.2019 को दर्शायी गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर नियुक्ति तिथि दिनांक–09.04.2019 किया जाना है।	**आपत्ति कमांक (7)** अभिलेखानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारित कमांक में सुश्री सोमिका अधिकारी की नियुक्ति की तिथि दिनांक–09.04.2019 संशोधित कर दिया गया है।
(च)	1. अशोक कुमार (कमांक–34) 2. श्री वासुदेव (कमांक–35) 3. श्री विशाल गौड़ (कमांक–41) 4. श्री उपेन्द्र शर्मा (कमांक–42) 5. श्रीमती संजीता त्रिपाठी (कमांक–44) 6. श्री अनुराग वरूण (कमांक–48) 7. श्री विकान्त राठौर (कमांक–50) 8. सुश्री नीतू आर्य (कमांक–51) 9. श्री राजेश सिंह (कमांक–52) 10. श्री गोविन्द सिंह (कमांक–53) उपरोक्त समस्त सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा मुख्यतः निम्न आपत्तियां की गयी है :– **आपत्ति कमांक (1)**– ज्येष्ठता नियमावली में प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है और न ही प्रतीक्षा सूची के परिभाषा खंड में परिभाषित किया गया है जिस कारण प्रतीक्षा सूची के किसी चयनित अभ्यर्थी को किसी पूर्ववर्ती चयनित अभ्यर्थी/नियुक्ति पाये सरकारी सेवक पर अधिमान उक्त ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। **आपत्ति कमांक (2)**– उक्त ज्येष्ठता नियमावली के नियम 5 के तीसरे पैरा में यह कहा गया है कि ''अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे'' उक्त ज्येष्ठता नियमावली में ''पूर्ववर्ती चयन'' और ''पश्चातवर्ती चयन'' को परिभाषित नहीं किया गया है यह भी नहीं वर्णित है कि ''प्रतीक्षा सूची'' के चयनित अभ्यर्थियों ''पूर्ववर्ती चयन'' और ''पश्चातवर्ती चयन'' में से किस कैटेगरी में रखा जायेगा। जिस कारण प्रतीक्षा सूची के चयनित व्यक्तियों को उतरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 एवं नियम–8(2)(क) का लाभ नहीं दिया जा सकता है।	**आपत्ति कमांक (1) (2) एवं (3)** सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–71/08/ई–1/2005–06, दिनांक–28.06.2012 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 के आधार पर अन्तिम रूप से चयनित 37 सहायक अभियोजन अधिकारियों की पुनरीक्षित चयन संस्तुति श्रेष्ठताकम में शासन को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके प्रस्तर–2 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया था कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 के माध्यम से दिनांक– 26.06.2012 को घोषित सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु अन्तिम चयन परिणाम के अतिरिक्त सेवा नियमावली ''उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियामवली– 1991 के नियम–15(4) के अनुकम में रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) की सूची तैयार की गयी है, जिसे शासन (गृह विभाग) द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के पत्र दिनांक–03.02.2017 के कम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–48/08/ई–1/2005–06, दिनांक–04.05.2017 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–8334/2013 अनुराग कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सिविल अपील संख्या–8335/2013 श्रवण कुमार त्रिपाठी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–05.10.2016 के अनुपालन में उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–15(4) के कम में रिक्तियों की संख्या से 25 प्रतिशत से अनधिक की सीमा के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारियों की श्रेष्ठाकमानुसार चयन संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसें

	आपत्ति कमांक (3)– उतरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 एवं नियम–8(2) के अनुसार किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथास्थिति आयोग यासमिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो, किन्तु यह प्रावधान केवल सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए हैं इसमें प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को ज्येष्ठता दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, जिस कारण न्यायिक निर्णय के प्रभावस्वरूप चयनित प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को ज्येष्ठता सूची में अधिमान के सम्बन्ध ा में पुनः अपने पक्ष में न्यायिक निर्णय लाना होगा।	प्रतीक्षा सूची कहा गया है। **अर्थात् स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 से सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची को चयन सूची ही माना जायेगा। इस प्रकार प्रतीक्षा सूची पृथक चयन न होकर "एक चयन" का ही भाग है। तद्नुसार ही ज्येष्ठता नियमावली के प्रावधान इस पर लागू होते है। प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों का चयन पृथक चयन न होने के कारण यह चयन पूर्ववर्ती अथवा पश्चातवर्ती चयन की श्रेणी में नहीं आता है।** **आपत्ति कमांक (3)**– प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी भी एक चयन (सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009) के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये है। अतः उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 के अनुसार ही अवधारित की गयी है। अतः आपत्ति संख्या–1, 2, 3 बलहीन एवं तर्कहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।
	आपत्ति कमांक (4)– वरिष्ठता सूची के कमांक 39 पर श्री नवीन राणा की प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक–09.04.2019 दर्शायी गयी है, जो कि गलत है, इनके द्वारा अभी पी0टी0सी0 नरेन्द्रनगर में शेष 3 माह की अवधि का प्रशिक्षण भी पूरा किया जाना बाकी है, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–5 के दूसरे पैरा और नियम–8(1) अनुसार ये नियुक्ति आदेशकी प्रस्तावित तिथि पर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे है, जिस कारण इनके ज्येष्ठता कमांक पर आपत्ति है।	**आपत्ति संख्या (4)**– श्री नवीन राणा की नियुक्ति तिथि दिनांक–22.07.2019 है, जिसे अन्तिम वरिष्ठता सूची में यथास्थान सही कर दिया गया है। श्री नवीन राणा द्वारा नियुक्ति आदेश में निर्देशित तिथि को कार्यभार ग्रहण न करने पर नियमानुसार उन्हें 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। श्री नवीन राणा के पत्र दिनांक–31.05.2019 द्वारा अपनी सास के कैंसर ट्रीटमेन्ट व अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध किये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 के दूसरे पैरा का प्रतिबंध उस दशा में लागू होगा, जब संबंधित अभ्यर्थी बिना विधिमान्य कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। यहाँ श्री नवीन राणा द्वारा प्रस्तुत औचित्यपूर्ण कारणों के आधार पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। अतः आपत्ति कमांक 4 स्वीकार्य नही है।
	आपत्ति कमांक(5)–न्यायिक निर्णय के फलस्वरूप आये प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों में से 03 अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक–31.12.2019 एवं 01 अधिकारी की नियुक्ति दिनांक–19.04.2019 है। इनके द्वारा अभी तक सहायक अभियोजन अधिकारी पद का व्यवहारिक और आधारभूत	**आपत्ति कमांक(5)**– लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने पर, उनके द्वारा चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवा माना जाता है और उक्त पद का निर्धारित वेतन एवं

	प्रशिक्षण भी पूरा नहीं किया गया, जिस कारण प्रतीक्षा सूची के अधिकारी वर्तमान में "प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारी" है जो कि उक्त पद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात सहायक अभियोजन अधिकारी पद की विधिवत शपथ लेने के उपरान्त सहायक अभियोजन अधिकारी माने जायेंगे और स्वयं को विधिवत आवंटित कोर्ट में कार्य करेंगे, किन्तु प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षित सहायक अभियोजनअधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त और शपथ लेकर कार्यरत और अन्य विधिक औपचारिकता पूर्णकरने वाले सहायक अभियोजन अधिकारियों पर ज्येष्ठता सूची में अधिमान दिया जाना विधिसंगत और तर्कसंगत नहीं है। **आपत्ति कमांक (6)**– सहायक अभियोजन अधिकारी पद की वर्ष–2009 की सीधी भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात उक्त पद की पश्चातवर्ती सीधी भर्ती प्रकिया वर्ष, 2016 भी पूर्ण हो चुकी है तब पश्चातवर्ती चयन प्रकिया वर्ष, 2016 से चयनित सहा0 अभि0 अधि0 पर प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षु अधिकारियों को अधिमान दिया जाना न्यायसंगत नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती सीधी भर्ती चयन प्रकिया को पूर्ण हुए 07 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। **आपत्ति संख्या (7)** ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में प्रतीक्षा सूची और "अप्रशिक्षित" बिना शपथ पत्र लिये प्रशिक्षु अधिकारियों को ज्येष्ठता सूची में अधिमान देने के विषय में कुछ भी वर्णित नहीं है। यदि किन्हीं अन्य समकक्ष पदों के लिए बनी अन्य नियमावली को वर्तमान सहायक अभियोजन अधिकारियों पर लागू किया जा रहा हो तब इसका उल्लेख उक्त ज्येष्ठता सूची के साथ कार्यालय ज्ञाप में किया जाना आवश्यक है। **आपत्ति कमांक (8)** ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–5 एवं नियम–8(2) (क) के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसा आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि आयोग द्वारा केवल 36 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची वर्ष 2009 के सहा0अभि0अधि0 परिणाम की जारी की गयी थी, जिसमें 03 प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की कोई मेरिट अंतिम चयन सूची में नहीं थी और न ही कोई योग्यता कमांक/आयोग का श्रेष्ठता कमांक इन्हें दिया गया था।	शासनादेशों के अनुरूप समय–समय पर निर्धारित भत्ते भी देय होते है। इस प्रकार सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने का प्राविधान है। सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण, परिविक्षा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की ही ज्येष्ठता सूची तैयार की जाय, ऐसा कोई प्राविधान ज्येष्ठता नियमावली में नहीं है। ज्येष्ठता नियमावली के नियम–5 में एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता का प्राविधान है। इस प्रकार एक चयन की चयन प्रकिया पूर्ण होने पर ही संबंधित नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ज्येष्ठता नियमावली के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की गयी है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 से चयनित प्रतीक्षा सूची के कार्मिक भी मुख्य चयन संस्तुति से चयनित कर्मिकों की भांति एक चयन के परिणामस्वरूप ही चयनित/नियुक्त है। अतः **आपत्ति संख्या 5 , 6 व 7** तर्कहीन एवं निराधार होने पर मान्य नहीं है। **आपत्ति कमांक (8)** में उल्लिखित वस्तुस्थिति स्पष्ट है। जहाँ तक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की मेरिट, योग्यता कमांक, श्रेष्ठता कमांक का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–205/08/ई–1/2005–06, दिनांक–18.08.2017 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची एवं प्राप्तांक उपलब्ध कराये गये, जिसमें लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक–28.06.2012 द्वारा संस्तुत 37 अभ्यर्थियों एवं पत्र दिनांक–04.05.2017 द्वारा संस्तुत 09 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के अंक समान है, उन्हें संगत सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में अधिक होने पर श्रेष्ठताकम में ऊपर रखा

		गया है और जिन अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में भी समान अंक है, उन्हें आयु के आधार पर श्रेष्ठताकम में ऊपर रखा गया है। इस प्रकार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उपलब्ध करायी गयी चयन संस्तुति श्रेष्ठताकम के अनुसार है। अतः आपत्ति संख्या (8) आधारहीन होने पर स्वीकार्य नहीं है।
(छ)	1. श्री जयपाल सिंह (कमांक–38) 2. श्री देवमणि पाण्डेय (कमांक–40) 3. श्रीमती मीना खान (कमांक–45) 4. श्री ज्योति सिंह (कमांक–46) 5. श्री रितेश वर्मा (कमांक–47) उपरोक्त समस्त सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता कमांक 28,29,30 व 31 पर आपत्ति की गयी है।	उपरोक्त **(च)** में आपत्तियों का किये गये निराकरण के आधारों पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
(ज)	कमांक–31 पर अंकित श्री दाऊद सिद्दकी द्वारा वरिष्ठता कमांक 31 के स्थान पर 28 पर होना चाहिये था, की आपत्ति दर्ज की है।	लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 की प्रतीक्षा सूची में श्री दाउद सिद्दकी का कमांक श्रेष्ठताकमानुसार 6 है। इसी आधार पर ज्येष्ठता सूची में श्री दाउद सिद्दकी को ज्येष्ठता कमांक–31 पर इंगित किया गया है। अतः इस आपत्ति का नियमानुसार कोई औचित्य नहीं है।
(झ)	सूची के कमांक 54 पर अंकित सुश्री अनुरिता सिंह का गृह जनपद नैनीताल दर्शाया गया है, यह त्रुटिपूर्ण है, जबकि उनका गृह जनपद पिथौरागढ़ हो गया है, की आपत्ति दर्ज की है।	अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारित कमांक में यथास्थान गृह जनपद नैनीताल के स्थान पर जनपद पिथौरागढ संशोधित कर दिया गया है

अतः अभियोजन विभाग, उत्तरखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2009 एवं सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 से नियुक्त कुल 54 सहायक अभियोजन अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित प्राविधानुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची के अनुसार अन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है।

संलग्नक–अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

कृष्ण कुमार वी0के0
अपर सचिव।

संख्या– 420(1)/XX–6/2020–01(16)2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. निदेशक, अभियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त 54 सहायक अभियोजन अधिकारी।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या– 420 /XX-6/2020–01(16)2007, दिनांक– 27 जुलाई, 2020 का संलग्न।

क0सं0	आयोग का श्रेष्ठता कमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	मूल पद	श्रेणी	भर्ती का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	श्रीमती श्रद्धा रावत	देहरादून	23.03.1985	02.11.2012	सहा0अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	सहा0 अभि0 अधि0 परीक्षा–2009 में आयोग के श्रेष्ठता कमांक के अनुसार
2.	6	श्री अजीत कुमार मिश्र	गोरखपुर	03.04.1987	19.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
3.	7	श्री विपुल कुमार पाण्डेय	इलाहाबाद	26.12.1978	08.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
4.	8	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय	मिर्जापुर	05.11.1979	08.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
5.	10	श्री नितिन मोहन	मुजफ्फनगर	03.05.1982	19.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
6.	11	श्री यशदीप श्रीवास्तव	गोरखपुर	22.01.1978	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
7.	12	श्री पंकज कुमार राय	वाराणसी	01.01.1978	17.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
8.	15	श्रीमती ममता मनादुली	पौड़ी गढ़वाल	28.12.1979	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
9.	16	श्री रिंकू वर्मा	देहरादून	03.12.1979	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
10.	18	श्रीमती ऋचा कोटियाल	चमोली	16.12.1985	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
11.	20	श्रीमती तनुजा वर्मा	पिथौरागढ़	05.07.1980	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0/ उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
12.	21	श्रीमती सुनीता भट्ट	चम्पावत	22.02.1985	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
13.	23	श्री अरूण गौड़	टिहरी	11.02.1984	20.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
14.	24	श्री राकेश चन्द्र	बागेश्वर	02.06.1986	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
15.	25	श्रीमती दीपा रानी	उधमसिंहनगर	20.06.1981	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0/ उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
16.	26	श्री गुलाब सिंह	हरिद्वार	05.12.1980	07.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
17.	27	श्री राहुल गौतम	देहरादून	26.12.1977	01.12.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
18.	28	श्री धमेन्द्र कुमार	टिहरी	07.03.1973	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—

क0सं0	आयोग का श्रेष्ठता कमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	मूल पद	श्रेणी	भर्ती का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	29	श्री शांति प्रिय गौतम	देहरादून	03.06.1977	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
20.	30	श्री अनूप सिंह	हरिद्वार	08.04.1970	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
21.	31	श्री बिन्देश्वर प्रसाद टम्टा	बागेश्वर	05.04.1978	03.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
22.	32	श्री ललित मोहन आर्य	नैनीताल	07.05.1981	05.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
23.	33	श्रीमती संगीता रानी	देहरादून	04.12.1970	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0जा0/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
24.	34	श्री राजीव डोभाल	उत्तरकाशी	25.07.1978	09.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0रा0आ0	सीधी भर्ती	—तदैव—
25.	35	श्रीमती उर्वशी चौहान	टिहरी	05.06.1976	02.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/वि0खि0	सीधी भर्ती	—तदैव—
26.	36	श्रीमती सीमा भेतवाल	रूद्रप्रयाग	06.04.1981	03.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	अ0ज0/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
27.	37	श्री अनुज कुमार साहनी	देहरादून	03.06.1975	21.11.2012	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0रा0आ0	सीधी भर्ती	—तदैव—
28.	01	श्री जावेद अहमद	महाराजगंज	16.11.1986	31.12.2019	सहा0 अभि0 अधि0	समान्य	सीधी भर्ती	सहा0 अभि0 अधि0 परीक्षा–2009 से सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची के अनुसार
29.	04	श्रीमती प्रतीभा जोशी	पिथौरागढ़	06.01.1983	31.12.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
30.	05	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा	देहरादून	14.08.1976	31.12.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
31.	06	मो0 दाऊद सिद्दीकी	अल्मोड़ा	08.10.1974	19.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
32.	01	सुश्री सोमिका अधिकारी	पिथौरागढ़	01.01.1983	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	सहा0 अभि0 अधि0 परीक्षा–2016 में आयोग के श्रेष्ठता कमांक के अनुसार

क0सं0	आयोग का श्रेष्ठता कमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	मूल पद	श्रेणी	भर्ती का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	02	श्री आशीष गुप्ता	पिथौरागढ़	13.03.1981	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
34.	03	श्री अशोक कुमार	उधमसिंहनगर	18.07.1980	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/ अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
35.	04	श्री वासुदेव	मेरठ	03.08.1987	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
36.	05	श्रीमती पूजा देवी	हरिद्वार	30.06.1989	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/ अ0पि0व0 (उ0म0)	सीधी भर्ती	—तदैव—
37.	06	श्रीमती सीमा रानी	हरिद्वार	02.05.1986	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/ अ0पि0व0 (उ0म0)	सीधी भर्ती	—तदैव—
38.	08	श्री जयपाल सिंह	गोरखपुर	15.12.1981	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
39.	09	श्री नवीन राणा	उत्तरकाशी	01.07.1987	22.07.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/ अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
40.	11	श्री देवमणि पाण्डेय	सुल्तानपुर	20.07.1980	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
41.	12	श्री विशाल गौड़	हरिद्वार	10.10.1982	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
42.	13	श्री उपेन्द्र शर्मा	उधमसिंहनगर	23.10.1985	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/ अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
43.	14	श्री रामकुमार सिंह	हमीरपुर	20.04.1983	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य	सीधी भर्ती	—तदैव—
44.	15.	श्रीमती संजीता त्रिपाठी	पौड़ी गढ़वाल	01.10.1980	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	—तदैव—
45.	17	श्रीमती मीना खान	उधमसिंहनगर	08.03.1978	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0 (उ0म0)	सीधी भर्ती	—तदैव—
46.	18.	श्री ज्योति सिंह	उधमसिंहनगर	10.04.1983	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0 PH(OL)	सीधी भर्ती	—तदैव—
47.	19.	श्री रितेश वर्मा	अल्मोड़ा	15.07.1978	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अ0पि0व0	सीधी भर्ती	—तदैव—
48.	20	श्री अनुराग वरूण	देहरादून	11.03.1984	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—

क0सं0	आयोग का श्रेष्ठता कमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	मूल पद	श्रेणी	भर्ती का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	21	श्री प्रमोद चन्द्र आर्य	बागेश्वर	11.01.1989	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
50.	22	श्री विकान्त राठौर	हरिद्वार	14.11.1981	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
51.	23	सुश्री नीतू आर्य	अल्मोड़ा	28.11.1982	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0जाति (उ0म0)	सीधी भर्ती	—तदैव—
52.	25.	श्री राजेश सिंह	चमोली	01.07.1978	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य (EXS)	सीधी भर्ती	—तदैव—
53.	26.	श्री गोविन्द सिंह	चमोली	02.04.1982	09.04.2019	सहा0 अभि0 अधि0	अनु0 जनजाति	सीधी भर्ती	—तदैव—
54.	01	सुश्री अनुरिता सिंह	पिथौरागढ़	10.08.1983	17.02.2020	सहा0 अभि0 अधि0	सामान्य/उ0म0	सीधी भर्ती	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 से सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची के अनुसार

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

D:\sai photo\Lamdscap.doc